



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042026-272037  
CG-DL-E-24042026-272037

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1993]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2026/वैशाख 3, 1948

No. 1993]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2026/VAISAKHA 3, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026

**का.आ. 2066(अ).**— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4390 तारीख 26/09/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के बिजापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १३ के ३०.३४० कि. मी. से १०२.०० कि.मी तक के भूखंड (डीजाइन चैनज) (सोलापूर-बिजापूर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन दिनांक 10/01/2026 को प्रजावाणी (कन्नड़) और डेक्कन हेराल्ड (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

### अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या १३ के ३०.३४० कि. मी. से १०२.०० कि.मी (डीजाइन चैनज) (सोलापूर-बिजापूर सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना सहित भूमि का विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक (29)			जिले का नाम: विजयपुर (530)			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम	
1	2	3	4	5	6	
तालुक का नाम: विजयपुरा (5449)						
गांव का नाम: कसबा बीजापुर						
1	22/4	निजी	एग्रीकल्चर	0.1755000	सुमाना कोम रघुनाथ खमीताकर पॉवर ओएफ एटॉर्नी होल्डर अनुपमा गणपतलाल रुनावाल 22/4	
2	22/5	निजी	एग्रीकल्चर	0.1534000	रघुनाथ रामकृष्ण खमीताकर पॉवर ओएफ एटॉर्नी होल्डर अनुपमा गणपतलाल रुनावाल 22/5	
कुल योग				0.3289		

[फा. सं. NHAI/11013/LA/01-S/Notif/mah/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2026

**S.O. 2066(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4390 Dated:26/09/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway 13, in the stretch of land from Km. 30.340 to Km. 102.200 (Solapur -Bijapur Section) in the district of Bijapur in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in Prajavani (Kannada) and Deccan Herald (English) both dated 10/01/2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH52 in the stretch of land from Km. 30.34 to Km. 102.200 in the district of Vijayapur in the state of KARNATAKA**

State: KARNATAKA			District: Vijayapur		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Vijayapura</b>					
<b>Village: Kasaba Bijapur</b>					
1	22/4	Private	Agriculture	0.1755	Sumana Kom Raghunath Khameetakar Power of Attorney Holder Anupama Ganapatalal Runawal 22/4
2	22/5	Private	Agriculture	0.1534	Raghunath Ramkrishna Khameetakar Power of Attorney Holder Anupama Ganapatalal Runawal 22/5
<b>Total</b>				<b>0.3289</b>	

[F. No. NHAI/11013/LA/01-S/Notif/mah/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director